न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 252/2012
GCMS NO. : 2016/00521

-: प्रार्थी :-	बनाम	-: अप्रार्थीगण :-
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-पाली		1. कालू पुत्र मीठू जाति- कुम्हार, निवासी- रास तहसील- जैतारण, जिला- पाली(राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.29.11.2021

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री भाकर सिंह भाटी, श्री महेन्द्र प्रजापत बलुन्दा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉक:- 25/02/2021**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार, जैतारण के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा- रास प्रथम, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 303 रकबा 4-03 बीघा किस्म बारानी दोयम लगान 1.03 प्रतिवर्ष की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थीं। उक्त भूमि कृषि योग्य है इसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी मेंसे रकबा 0-08 बीघा किस्म बारानी दोयम पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर मोबाइल टॉवर लगा कर उपयोग किया जा रहा है और भूमि की कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा रास प्रथम तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 303 रकबा 04-03 बीघा किस्म बारानी दोयम लगान 01.03 प्रतिवर्ष आई हुई है। जो अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 22/11/2012 प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की और से वकालातनामा एवं जवाब प्रार्थनापत्र मय संपरिवर्तन आदेश दिनांक 26.07.2018 पत्र पेश हुआ, [illegible] जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि वादी तहसीलदार जैतारण द्वार प्रतिवाद[illegible] के खिलाफ में धारा 177 राज0काश्त0अधि0 का वादपत्र पेश कर[illegible] मोबाइल टॉवर लगे हुए है। जिसे हटाकर जमीन को राज्य[illegible] हेतू पेश किया [illegible] उक्त वादपत्र में प्रतिवादी को नोटिस मिलते ही प्रतिवादी ने उ[illegible] मोबाईल टॉवर जो मौ[illegible] रास के चक नम्बर प्रथम के खसरा नम्बर 303 रकबा 04-03 बीघा में दो टॉवर की जमीन का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 26.07.2018 को श्रीमान् के न्यायालय से करवा दिया। संपरिवर्तन ओदश की प्रतिलिपि जवाब प्रार्थना के साथ संलग्न है। प्रतिवादी कालूराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

विगत 04 वर्षो से कैन्सर से पीड़ित है तथा लगातार अपने ईलाज में व्यस्त रहनें के कारण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाया तथा अपना उक्त संपरिवर्तन आदेश अपने अधिवक्ता को नहीं दे पाया जिस कारण से यह पत्रावली लम्बे समय से जवाब वादपत्र में नियत चल रही थी। अब प्रतिवादी के अधिवक्त ने सूचना दी कि मै वकील हट गया हूं तथा आप किसी अन्य अधिवक्त से अपना जवाब पेश करवा दे। तब जानकारी होने पर यह मेरा जवाब वादपत्र पेश है तथा इसके साथ वादग्रस्त भूमि में लगे मोबाईल टॉवर संपरिवर्तन आदेश पेश है। अतः जवाब वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र किसी दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं होनें से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक दव F 10 (147) UDH/3/2008 PART- III दिनांक 06.02.2017 के बिंदू संख्या 03(10) के अनुसार मोबाईल टॉवर अस्थाई प्रकृति की संरचना होनें से एवं दूरसंचार सेवा एक अत्यावश्यक प्रकृति की सेवा होने से इसकी स्थापना एवं परिचालन के लिए अव्वल तो भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, दोयम अप्रार्थी खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी का सक्षम प्राधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) जैतारण के आदेशांक राजस्व/2018/644 दिनांक 26.07.2018 द्वारा मोबाईल टॉवर प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा लिया गया है। अतः तहसीलदार, जैतारण द्वारा ग्राम- रास प्रथम, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 303 रकबा 4-03 बीघा किस्म बारानी दोयम के खातेदारान एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होनें, होने से अस्वीकार/खारिज करना विधिसंगत है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादी, तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बनाम प्रतिवादीगण सारहीन होनें, संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होनें एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक F 10 (147) UDH/3/2008 PART- III दिनांक 06.02.2017 से बाधित होने एवं वादग्रस्त आराजी सक्षम अधिकारी द्वारा मोबाईल टॉवर प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/02/2021 को सर-ए-इजलास सुना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.15 17:48:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)